



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072026-274162
CG-DL-E-06072026-274162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3426]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3426]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3561(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-44 पर से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले प्रस्तावित 6 लेन वृंदावन बाईपास के निर्माण के कि.मी. 0.000 से कि.मी.15.340 तक के भू-खण्ड के निर्माण (6 लेन पेव्ड शोल्डर सहित का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मथुरा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-44 पर से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले प्रस्तावित 6 लेन वृंदावन बाईपास के निर्माण के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 15.340 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: मथुरा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मांट					
गांव का नाम: जहाँगीरपुर खादर					
1	103	निजी	(कृषि)	0.0054 (हेक्टेयर)	0.0054
2	105	निजी	(कृषि)	0.4536 (हेक्टेयर)	0.4536
3	108	निजी	(कृषि)	0.0889 (हेक्टेयर)	0.0889
4	109	निजी	(कृषि)	0.0299 (हेक्टेयर)	0.0299
5	110	निजी	(कृषि)	0.0119 (हेक्टेयर)	0.0119
6	111 mi.	निजी	(कृषि)	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
7	146 mi.	सामान्य	(कृषि/गैर-कृषि (रेत))	1.3756 (हेक्टेयर)	1.3756
8	177 mi.	सामान्य	(कृषि/गैर-कृषि (रेत))	0.3375 (हेक्टेयर)	0.3375
9	178 mi.	सामान्य	(कृषि/गैर-कृषि (रेत))	0.2027 (हेक्टेयर)	0.2027
10	179	निजी	(कृषि)	0.0472 (हेक्टेयर)	0.0472
11	180	निजी	(कृषि)	0.121 (हेक्टेयर)	0.121
12	181	निजी	(कृषि)	0.0055 (हेक्टेयर)	0.0055
13	182	सरकारी	(गैर-कृषि (रेत))	0.1156 (हेक्टेयर)	0.1156
14	183	सरकारी	(गैर-कृषि (रेत))	0.142 (हेक्टेयर)	0.142
15	184	सरकारी	(गैर-कृषि (रेत))	0.162 (हेक्टेयर)	0.162
16	193	सरकारी	(गैर-कृषि (रेत))	0.0535 (हेक्टेयर)	0.0535

17	194	सरकारी	(गैर-कृषि (रेत))	0.7032 (हेक्टेयर)	0.7032
18	195 mi	निजी	(कृषि)	3.8932 (हेक्टेयर)	3.8932
19	199	सरकारी	(गैर-कृषि (रेत))	0.0278 (हेक्टेयर)	0.0278
20	200	निजी	(कृषि)	0.0264 (हेक्टेयर)	0.0264
21	234 mi.	सामान्य	(कृषि/गैर-कृषि (रेत))	2.3505 (हेक्टेयर)	2.3505
22	283	सरकारी	(गैर-कृषि (रेत))	0.8412 (हेक्टेयर)	0.8412
23	384	सरकारी	(गैर-कृषि (रेत))	0.183 (हेक्टेयर)	0.183
24	89 mi.	सामान्य	(कृषि/गैर-कृषि (रेत))	0.214 (हेक्टेयर)	0.214
25	98	सरकारी	(गैर-कृषि (रेत))	0.0999 (हेक्टेयर)	0.0999
तालुक का नाम: सदर					
गांव का नाम: आटस खादर					
26	200	निजी	(कृषि)	0.4838 (हेक्टेयर)	0.4838
27	208	सरकारी	(गैर-कृषि (रेत))	0.3972 (हेक्टेयर)	0.3972
28	219 mi.	सामान्य	(कृषि/गैर-कृषि (रेत))	0.4127 (हेक्टेयर)	0.4127
29	220 mi.	सामान्य	(कृषि/गैर-कृषि (रेत))	0.0018 (हेक्टेयर)	0.0018
30	222 mi.	निजी	(कृषि)	0.079 (हेक्टेयर)	0.079
31	35	निजी	(कृषि)	0.116 (हेक्टेयर)	0.116
32	36	निजी	(कृषि)	0.2065 (हेक्टेयर)	0.2065
33	37	निजी	(कृषि)	0.1249 (हेक्टेयर)	0.1249
34	38	निजी	(कृषि)	0.0135 (हेक्टेयर)	0.0135
35	381 mi.	निजी	(कृषि)	1.1001 (हेक्टेयर)	1.1001
36	382 mi.	निजी	(कृषि)	0.2081 (हेक्टेयर)	0.2081
37	384 mi.	निजी	(कृषि)	0.0381 (हेक्टेयर)	0.0381
38	385	निजी	(कृषि)	0.364 (हेक्टेयर)	0.364
39	386	निजी	(कृषि)	0.4422 (हेक्टेयर)	0.4422
40	387 mi.	सामान्य	(कृषि/गैर-कृषि)	0.1097 (हेक्टेयर)	0.1097
41	39	निजी	(कृषि)	0.0145 (हेक्टेयर)	0.0145
42	40	निजी	(कृषि)	0.0977 (हेक्टेयर)	0.0977

43	410 mi.	सामान्य	(कृषि/गैर-कृषि (बंजर))	0.0898 (हेक्टेयर)	0.0898
44	412	निजी	(कृषि)	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
45	414	निजी	(कृषि)	0.1752 (हेक्टेयर)	0.1752
46	415 mi.	निजी	(कृषि)	0.1538 (हेक्टेयर)	0.1538
47	416	सरकारी	(गैर-कृषि (बंजर))	0.1479 (हेक्टेयर)	0.1479
48	417	सरकारी	(गैर-कृषि (बंजर))	0.2374 (हेक्टेयर)	0.2374
49	425	निजी	(कृषि)	0.0774 (हेक्टेयर)	0.0774
50	426	निजी	(कृषि)	0.0157 (हेक्टेयर)	0.0157
51	427	निजी	(कृषि)	0.0164 (हेक्टेयर)	0.0164
52	428 mi.	निजी	(कृषि)	0.1823 (हेक्टेयर)	0.1823
53	429 mi.	निजी	(कृषि)	0.1701 (हेक्टेयर)	0.1701
54	433 mi.	निजी	(कृषि)	0.0058 (हेक्टेयर)	0.0058
Total					16.9773

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH-19/2024-25/754/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2026

S.O. 3561(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction (6 lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of Vrindavan bypass on NH-44 connecting Yamuna Expressway in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 15.340 in the district of MATHURA in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, ADM(E), Mathura in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures for construction of 6 lane Vrindavan Bypass on NH 44 connecting Yamuna Expressway in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 15.340 in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: MATHURA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mant					
Village: Jahangirpur Khadar					
1	103	Private	(Agriculture)	0.0054 (Hectare)	0.0054
2	105	Private	(Agriculture)	0.4536 (Hectare)	0.4536
3	108	Private	(Agriculture)	0.0889 (Hectare)	0.0889
4	109	Private	(Agriculture)	0.0299 (Hectare)	0.0299
5	110	Private	(Agriculture)	0.0119 (Hectare)	0.0119
6	111 mi.	Private	(Agriculture)	0.0015 (Hectare)	0.0015
7	146 mi.	Common	(Agriculture/Non-Agriculture (Ret))	1.3756 (Hectare)	1.3756
8	177 mi.	Common	(Agriculture/Non-Agriculture (Ret))	0.3375 (Hectare)	0.3375
9	178 mi.	Common	(Agriculture/Non-Agriculture (Ret))	0.2027 (Hectare)	0.2027
10	179	Private	(Agriculture)	0.0472 (Hectare)	0.0472
11	180	Private	(Agriculture)	0.121 (Hectare)	0.121
12	181	Private	(Agriculture)	0.0055 (Hectare)	0.0055
13	182	Government	(Non-Agriculture (Ret))	0.1156 (Hectare)	0.1156
14	183	Government	(Non-Agriculture (Ret))	0.142 (Hectare)	0.142
15	184	Government	(Non-Agriculture (Ret))	0.162 (Hectare)	0.162
16	193	Government	(Non-Agriculture (Ret))	0.0535 (Hectare)	0.0535
17	194	Government	(Non-Agriculture (Ret))	0.7032 (Hectare)	0.7032
18	195 mi	Private	(Agriculture)	3.8932 (Hectare)	3.8932
19	199	Government	(Non-Agriculture (Ret))	0.0278 (Hectare)	0.0278
20	200	Private	(Agriculture)	0.0264 (Hectare)	0.0264
21	234 mi.	Common	(Agriculture/Non-Agriculture (Ret))	2.3505 (Hectare)	2.3505
22	283	Government	(Non-Agriculture (Ret))	0.8412 (Hectare)	0.8412

23	384	Government	(Non-Agriculture (Ret))	0.183 (Hectare)	0.183
24	89 mi.	Common	(Agriculture/Non-Agriculture (Ret))	0.214 (Hectare)	0.214
25	98	Government	(Non-Agriculture (Ret))	0.0999 (Hectare)	0.0999
Taluk: sadar					
Village: Atas Khadar					
26	200	Private	(Agriculture)	0.4838 (Hectare)	0.4838
27	208	Government	(Non-Agriculture (Ret))	0.3972 (Hectare)	0.3972
28	219 mi.	Common	(Agriculture/Non-Agriculture (Ret))	0.4127 (Hectare)	0.4127
29	220 mi.	Common	(Agriculture/Non-Agriculture (Ret))	0.0018 (Hectare)	0.0018
30	222 mi.	Private	(Agriculture)	0.079 (Hectare)	0.079
31	35	Private	(Agriculture)	0.116 (Hectare)	0.116
32	36	Private	(Agriculture)	0.2065 (Hectare)	0.2065
33	37	Private	(Agriculture)	0.1249 (Hectare)	0.1249
34	38	Private	(Agriculture)	0.0135 (Hectare)	0.0135
35	381 mi.	Private	(Agriculture)	1.1001 (Hectare)	1.1001
36	382 mi.	Private	(Agriculture)	0.2081 (Hectare)	0.2081
37	384 mi.	Private	(Agriculture)	0.0381 (Hectare)	0.0381
38	385	Private	(Agriculture)	0.364 (Hectare)	0.364
39	386	Private	(Agriculture)	0.4422 (Hectare)	0.4422
40	387 mi.	Common	("Agriculture/Non-Agriculture)	0.1097 (Hectare)	0.1097
41	39	Private	(Agriculture)	0.0145 (Hectare)	0.0145
42	40	Private	(Agriculture)	0.0977 (Hectare)	0.0977
43	410 mi.	Common	(Agriculture/Non-Agriculture (Banjar))	0.0898 (Hectare)	0.0898
44	412	Private	(Agriculture)	0.0027 (Hectare)	0.0027
45	414	Private	(Agriculture)	0.1752 (Hectare)	0.1752
46	415 mi.	Private	(Agriculture)	0.1538 (Hectare)	0.1538
47	416	Government	(Non-Agriculture (Banjar))	0.1479 (Hectare)	0.1479
48	417	Government	(Non-Agriculture (Banjar))	0.2374 (Hectare)	0.2374
49	425	Private	(Agriculture)	0.0774 (Hectare)	0.0774

50	426	Private	(Agriculture)	0.0157 (Hectare)	0.0157
51	427	Private	(Agriculture)	0.0164 (Hectare)	0.0164
52	428 mi.	Private	(Agriculture)	0.1823 (Hectare)	0.1823
53	429 mi.	Private	(Agriculture)	0.1701 (Hectare)	0.1701
54	433 mi.	Private	(Agriculture)	0.0058 (Hectare)	0.0058
Total					16.9773

[F. No. CE-RO/LKO/NH-19/2024-25/754/3A]
SHAIKH AMINKHAN, Director